न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश–द्वितीय, जमुई
स्वत्व अपील वाद संख्या–10/2012

उपस्थित– कमला प्रसाद,
अपर जिला न्यायाधीश–द्वितीय, जमुई

अनीता देवी .....अपीलकर्ता

बनाम

राधा तांती व अन्य.....उत्तरदाता

आदेश

19.09.2024

अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। पुकार पर अपीलकर्ता तथा उत्तरदाता के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। अपीलकर्ता के आवेदन अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता दिनांक 28.08.2024 तथा पूरक संशोधन आवेदन दिनांक 29.08.2024 एवं उस पर उत्तरदाता के प्रतिउत्तर दिनांक 29.08.2024 तथा दिनांक 03.09.2024 एवं पूरक आवेदन पर प्रतिउत्तर दिनांक 04.09.2024 पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना जा चुका है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता अपने संशोधन आवेदन दिनांक 28.08.2024 को प्रचालित कर निवेदन किए कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी द्वारा, जो लिखित कथन अधीनस्थ न्यायालय में दाखिल किया गया था, प्रतिवादी सं0 1 विंदूमाला देवी द्वारा दाखिल लिखित कथन के पांचवें पंक्ति में शब्द ''not"गलत टंकित हो गया है तथा उसी पंक्ति में शब्द "Correctly" के जगह पर "Wrongly" गलत तरीके से टंकित हो गया है। यह संशोधन अभिवचन को स्पष्ट करने के लिए दिया गया है, जो कि लिखित कथन के कंडिका 15 में भी अंकित है। अतः संशोधन आवेदन दिए गए संशोधन को स्वीकृत करने का निवेदन करते हैं तथा अपने पूरक संशोधन आवेदन दिनांक 29.08.2024 में निवेदन किए हैं कि अपीलकर्ता द्वारा, जो संशोधन आवेदन दिनांक 28.08.2024 को दाखिल किया गया है, उसमें गलती से लिखित कथन प्रतिवादी सं0 1 लिखा गया है, जबकि उक्त लिखित कथन अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी सं0 1 एवं 2 दोनों के तरफ से दाखिल किया गया है और उसे प्रतिवादी सं0 1 एवं 2 दोनों पढ़ा एवं समझा

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश–द्वितीय, जमुई
स्वत्व अपील वाद संख्या–10/2012

उपस्थित– कमला प्रसाद,
अपर जिला न्यायाधीश–द्वितीय, जमुई

अनीता देवी .....अपीलकर्ता

बनाम

राधा तांती व अन्य.....उत्तरदाता

19.09.2024

जाय तथा उक्त टंककीय त्रुटि स्वत्व वाद सं0 15/2007 एवं 16/2007 दोनों में भूल हो गया है तथा अपीलकर्ता/प्रतिवादी सम्यक तत्परता के पश्चात भी उक्त संशोधन अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकी थी और इस पूरक आवेदन को उक्त संशोधन आवेदन का भगा माना जाने का निवेदन किया गया। जबकि प्रतिवादीगण अपने द्वारा दाखिल प्रतिउत्तरों में निवेदन किए हैं कि अपीलकर्ता द्वारा आदेश 6 नियम 17 धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिया गया आवेदन तथ्य एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय नही है, जो आदेश 6 नियम 17 के उपधारा 2 से स्पष्ट होता है। उक्त संशोधन से उत्तरवादी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा अभिवचन की प्रकृति बदल जाएगी। आदेश 6 नियम 17 के परंतुक के अनुसार विचारण शुरू होने के पश्चात कोई संशोधन नहीं होगा, जब तक कि सम्यक् तत्परता (Due Deligence) को न्यायालय के समक्ष संतोषप्रद रूप से स्पष्ट ना कर दिया जाय। अपीलकर्ता द्वारा कोई तर्कयुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे ज्ञात हो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी अपीलकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय में संशोधन आवेदन प्रस्तुत नही किया जा सका। अतः अपील के इस प्रक्रम पर जबकि आपीलकर्ता का बहस पूर्ण हो चुका है, और उत्तरवादी का बहस शुरू हुआ है। इस संशोधन आवेदन को स्वीकृत नहीं किया जा सकता तथा संशोधन आवेदन को खारिज करने का निवेदन करते हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि इस अपील वाद में अपीलकर्ता का बहस समाप्त हो चुका है तथा उत्तरवादी का बहस शुरू हुआ है। अपीलकर्ता द्वारा यह संशोधन आवेदन आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश–द्वितीय, जमुई
स्वत्व अपील वाद संख्या–10/2012

उपस्थित– कमला प्रसाद,
अपर जिला न्यायाधीश–द्वितीय, जमुई

अनीता देवी .....अपीलकर्ता

बनाम

राधा तांती व अन्य.....उत्तरदाता

19.09.2024 के अंतर्गत दाखिल किया गया है, परंतु आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता निम्न प्रकार हैः–

''न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर, जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करने या संशोधित करने की अनुमति दे सकेगा और सभी ऐसे संशोधन किये जाएंगे जो पक्षकारों के बीच में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।''

''परंतु यह कि संशोधन के लिए कोई आवेदन विचारण के प्रारंभ हो जाने के बाद अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि सम्यक् तत्परता के बावजूद पक्षकार विचारण के प्रारंभ होने के पूर्व मामले को नहीं उठा सका था।''

प्रस्तुत अपील वाद में अपीलकर्ता द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन में किसी भी ऐसे तथ्य या तर्क का उल्लेख नहीं किया गया कि उक्त संशोधन आवेदन को अपीलकर्ता/प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विचारण के पूर्व या विचारण के समय क्यों प्रस्तुत नहीं किया जा सका है और वह कौन सी परिस्थिति एवं कौन से तथ्य थे कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी द्वारा उक्त संशोधन आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि दोनों पक्षों के पूर्ण बहस के पश्चात ही ससंघर्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत स्वत्व वाद में निर्णय पारित किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में भी संशोधन से संबंधित तथ्य का उल्लेख हो चुका है।

अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी यह साबित करने में सफल नहीं हुए कि सम्यक् तत्परता

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश–द्वितीय, जमुई
स्वत्व अपील वाद संख्या–10/2012

उपस्थित– कमला प्रसाद,
अपर जिला न्यायाधीश–द्वितीय, जमुई

अनीता देवी .....अपीलकर्ता

बनाम

राधा तांती व अन्य.....उत्तरदाता

19.09.2024 (Due diligence) के पश्चात भी अपीलकर्ता अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों से संबंधित संशोधन आवेदन दाखिल नहीं कर सके थे, क्योंकि संशोधन आवेदन में ऐसे किसी तथ्य या परिस्थिति का उल्लेख नहीं है, जिससे यह ज्ञात हो कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलकर्ता/प्रतिवादी द्वारा किस प्रकार की तथा किस तरह से सम्यक तत्परता का पालन किया गया और उसके पश्चात भी वह संशोधन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में दाखिल नहीं कर सका। अतः अपीलकर्ता का संशोधन आवेदन आदेश 6 नियम 17 के परंतुक से बाधित है। इस कारण अपीलकर्ता द्वारा संशोधन आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित

अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय
व्यवहार न्यायालय, जमुई।